



राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- [higheredu3@rajasthan.gov.in](mailto:higheredu3@rajasthan.gov.in) दूरभाष-0141-5153222र 5153223र 5153680 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(5)उच्च शिक्षा/ग्रुप-3/2022


जयपुर, दिनांक:- 09.06.2022

:- आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या-31.1.0 से 31.19.0 (संशोधित बिंदु संख्या 31.0) की अनुपालना में 36 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.03.2022 द्वारा जारी स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए "राजकीय कन्या महाविद्यालय, खेतड़ी, जिला-झुंझुनूं के स्थान पर "राजकीय कन्या महाविद्यालय, बढाई(खेतड़ी), जिला-झुंझुनूं" एतद्वारा किया जाता है।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102203026 दिनांक 07.06.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(बृजमोहन नोगिया)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव

**आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक : एफ 20 (101/.2)/आयो/आकाशि/2022-23/262 दिनांक 14/8/2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, (एच डी) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 10 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 11 लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
- 12 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय।
- 13 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 14 संयुक्त निदेशक (अकादमी/प्रशासन/एच आर डी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 15 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
- 16 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 17 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर